





| तारीख<br>हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज   | नंबर व तारीख<br>अहकाम जो इस<br>हुक्म की तामील<br>में जारी हुए |
|----------------|--|---|
|                | <p>           उभय पक्ष अभिभाषकों को लक्ष्य पर मनन किया तथा पक्षावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपाथी का कथन है कि मौका पर उलटा कथना है, जो मौका रिपोर्ट तलब करने से साबित हो जायेगा। उभय स्पष्ट अभिप्राय यह है कि अपाथी अपने तथाकथित कथना के समर्थन में मौका रिपोर्ट तलब कर साक्ष्य प्रदर्शित करवाना चाहता है, किन्ति का सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य प्रदर्शित करने हेतु मौका रिपोर्ट तलब किया जाना किन्ति सम्मत नहीं है। किन्ति अपाथी द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाने वाला प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारणीय होने से स्वारिम किया जाता है। पक्षावली वास्ते लक्ष्य अन्तिम हेतु दि. 21/11/2017 को पेश हो।         </p> <p style="text-align: center;"> <br/>           दि. 21/11/2017         </p> |   |
| 21/11/2017     | <p>           पी.ओ. साक्ष्य प्रदर्शन में नासा है पेरी इत्यादी होकर पक्षावली को दि. 21/11/2017 को पेश हो।         </p> <p style="text-align: right;">  </p>   |   |
| 21/11/2017     | <p>           पक्षावली अपाथी का कथन है कि वे लक्ष्य हेतु तैयार होकर नहीं आये हैं, अतः लक्ष्य हेतु अवसर दिया जावे। उभय पक्षों के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर भी उभय पक्षों को अपने से पक्षावली हस्तांतरण करने का निवेदन किया। पक्षावली लक्ष्य की अंगूठे पर विचारशील है। अतः प्रत्येक न्यायिक सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए पक्षावली माननीय न्यायालय         </p> <p> <br/>           दि. 21/11/2017         </p>   |   |

दि. 21/11/2017

| तारीख<br>हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  | नंबर व तारीख<br>अहकाम जो इस<br>हुक्म की तारीख<br>में जारी हुए |
|----------------|---|---|
|                | <p>मिला कलवख पाली को स्थानान्तरित की मशीनें<br/>उभय पक्ष दि. 11/2/2017 को व्याथलय मिला<br/>कलवख पाली के समक्ष उपस्थित हो पत्रावली<br/>सिध व्याथलय के गभर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> <br/> अति. विद्व. कलेक्टर, पाली </p> |   |